

प्रिय,

श्रीमान
विश्वनाथ
उत्तर प्रदेश सरकार

सेवा में,

श्रीमान
कल्याण सिंह
मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतः दिनांक: 28 सितम्बर, 2004

विषय:-

नौकराई के लिए आवेदनपत्रों में संशोधन हेतु उत्तराखण्ड सरकार के विदेशी विभागों के अधीन आवासीय नहीं है :-

सबोध,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधानलय जो नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनावासीय प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आवासीय नहीं है :-

1. विधानलय की प्रजीकृत सोसायटी का सख्त-सभ्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा 9
2. वि लय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विधानलय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद/ केसिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विधानलयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानलय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानलय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि डाण्डयन स्कूल सर्टिफिकेट इकायिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सम्पाप्त हो जायेगा ।

Dr. Ruchi Seth
Director Principal ---2---
LOTUS VALLEY
International School
2, Sector-126, Expressway, Noida

- 151 संस्था के वैश्विक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों में तत् वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अगासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत दिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त शर्तों में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

1. लोक सचिव :
विशेष अधिकारी ।

पू0सं0स्व0 दिनपं0 तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~मि०~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~बनियाबाद~~ ।
- 4- निरीक्षक, आंगत भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~मौआ देवी इंटरनेशनल स्कूल~~ ~~मि०~~ ~~126~~ ~~एक्सप्रेस~~ ~~नोडा~~, ~~बनियाबाद~~ ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

Dr. Ruchi Seth
Director Principal
LOTUS VALLEY
International School

2, Sector-126, Expressway, Noida-

आज्ञा से,

1. लोक सचिव :
विशेष अधिकारी ।

2